

**कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर।**

**विज्ञापित**

**दिनांक- अप्रैल 25, 2019**

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर द्वारा संचालित मध्यस्थता केन्द्र व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर के कार्यालय में सृजित तृतीय श्रेणी कर्मचारी (कनिष्ठ लिपिक) के 02 पदों पर मासिक पारिश्रमिक 9000/- रुपये की दर से संविदा के आधार पर दिनांक 29-02-2020 तक के लिए नियुक्ति की जानी है।

उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक अभ्यर्थीगण से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। अधिक जानकारी व नियत आवेदन प्रारूप हेतु जनपद न्यायालय गाजीपुर की वेबसाइट [www.ecourts.gov.in](http://www.ecourts.gov.in) अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा नजारत अनुभाग जनपद न्यायालय गाजीपुर के नोटिस बोर्ड पर देखें।

**पात्रता-**

- 1- आवेदक कम से कम इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण हो।
- 2- आवेदक आवेदन करने की तिथि को DOEACC सोसाइटी द्वारा 'CCC' प्रमाण पत्र प्राप्त हो। (आवेदन की तिथि के उपरान्त का मान्य नहीं होगा)
- 3- आवेदक हिन्दी भाषा में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट अथवा अंग्रेजी भाषा में कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट कम्प्यूटर पर टाइप करने की योग्यता रखते हो। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में टाइप व आशुलेखन का ज्ञान हो उन्हें वरीयता दी जायेगी।
- 4- आवेदक की आयु दिनांक 01-03-2019 को 18 से 40 वर्ष के मध्य हो।
- 5- ऐसे व्यक्ति आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे, जिनके विरुद्ध कोई अपराधिक वाद/जॉच लम्बित हो अथवा किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो।

**आवेदन प्राप्ति का अन्तिम दिनांक-**

आवेदक अपना आवेदन नियत प्रारूप पर सुस्पष्ट लेख में भर कर आवश्यक प्रपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों सहित कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर-233001 में दिनांक 14-05-2019 को सायं 04:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में प्रस्तुत कर अपना पंजीयन करा सकते हैं।

**आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने हेतु अपेक्षित प्रपत्र-**

- 1- शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ।
- 2- जन्मतिथि प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 3- आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 4- निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 5- दो पासपोर्ट साईज स्वप्रमाणित नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ (एक आवेदन में नियत स्थान पर लगाया जाना है एवं एक आवेदन के साथ संलग्न किया जाना है।)
- 6- अभ्यर्थी अपने नाम व पता का 24X10 साईज का 2 लिफाफा जिस पर 27/- रु0 का टिकट लगा हो संलग्न करें।
- 7- पत्रांक 956 दिनांक 17.04.2018 के अनुक्रम में दिनांक 22.09.2018 को जारी विज्ञापित हेतु पूर्व में प्रेषित आवेदनकर्ताओं को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

**परीक्षा हेतु नियत स्थान व दिनांक-**

पंजीकृत अभ्यर्थी लिखित परीक्षा/साक्षात्कार हेतु दिनांक 26-05-2019 को प्रातः 10 बजे मीटिंग हॉल जनपद न्यायालय गाजीपुर में उपस्थित हो। परीक्षा स्थल पर आने जाने हेतु उपस्थित अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का मार्ग व्यय आदि देय नहीं होगा।

अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये समस्त प्रपत्रों की मूल प्रतियाँ परीक्षा के समय साथ लेकर उपस्थित हों।

(मु0 रिजवा मुल हक)

अध्यक्ष, चयन समिति/अपर जिला एवं,  
सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-1, गाजीपुर।

दिनांक: 25-04-2019

विज्ञापित की एक-एक प्रति मय आवेदन प्रारूप कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर एवं नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय गाजीपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायें, जनपद न्यायालय गाजीपुर एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की वेबसाइट पर भी अपलोड की जायें तथा जिला सूचना अधिकारी गाजीपुर के माध्यम से उक्त आशय की सूचना जनपद के सामाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करायी जाये।

(मु0 रिजवा मुल हक)

अध्यक्ष, चयन समिति/अपर जिला एवं,  
सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-1, गाजीपुर।

दिनांक: 25-04-2019

प्राप्त सं० ५१११

Shanavaj 21/04

## जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर।

कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियत पारिश्रमिक पर संविदा के आधार पर दिनांक 29-02-2020 तक के लिए नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र-

- 1- अभ्यर्थी का नाम- .....
- 2- पिता/पति का नाम- ..... स्वप्रमाणित नवीनतम पासपोर्ट साईज रंगीन फोटोग्राफ चिपकाए।
- 3- जन्म तिथि- .....  
दिनांक 01.03.2019 को आयु .....
- 4- स्थायी पता- .....
- 5- वर्तमान पता- .....
- 6- मोबाईल नम्बर .....
- 7- ई-मेल आई.डी.यदि हो .....
- 8- वर्ग .....
- 9- लिंग (पुरुष/महिला/अन्य).....
- 10- वैवाहिक स्थिति (विवाहित/अविवाहित).....
- 11- शैक्षिक योग्यता- .....

### उद्घोषणा-

मैं उद्घोषित करता/करती हूँ कि आवेदन में दिया गया समस्त विवरण मेरी जानकारी में सही व सत्य हैं, इसमें कोई बात छिपायी नहीं गयी है। मैंने सभी नियम एवं शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है, जो मुझे स्वीकार्य है। यदि किसी स्थिति में यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा उद्घोषित तथ्य गलत पाये जाते हैं, तो बिना किसी अन्य कारण के मेरी संविदा पर नियुक्ति निरस्त की जा सकती है।

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर दिनांक सहित